ऑनलाइन सट्टा संचालन मामले में 14 सटोरिए गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

रायपुर पुलिस ने आज ऑनलाईन सट्टा संचालन करने वाले 14 सटोरियों की गिरफ्तार के संबंध में जानकारी दी है।पकड़ गये आरोपियों में छत्तीसगढ़ के सात आरोपी सहित एमपी,झारखंड,बिहार तथा यूपी के आरोपी शामिल है जिन्हें अलग-अलग दो स्थानों से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों को कलकत्ता तथा गोवाहाटी असम से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सटोरयों के 1500 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए गए।

रायपुर पुलिस ने आज कोलकाता और असम में किए छापेमारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। स्थानीय इनपुट के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, सायबर रेंज यूनिट की टीम तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत पंडरी ओव्हर ब्रीज के नीचे ऑनलाईन सट्टा खेलते आरोपी निखिल वाधवानी पिता स्व. सुरेश वाधवानी उम्र 31 साल निवासी दीपक कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर को गिरफ्तार कर थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 73/25 धारा 4(क), 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया था। गिरफ्तार आरोपी निखिल वाधवानी से पूछताछ व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट व रेंज सायबर यूनिट की टीम द्वारा कोलकाता एवं गुवाहाटी (असम) में रेकी करते हुये कोलकाता में रेड कार्यवाही करते हुये न्यू टाउन राजघर स्थित आशियाना अपार्टमेंटसे 06 आरोपी एवं राजारहाट स्थित तुलसी विहार अपार्टमेंट से 02 आरोपी तथा गुवाहाटी में रेड कार्यवाही कर बेलटोला स्थित महेन्द्री अपार्टमेंट से 06 आरोपी सहित कुल 14 आरोपियों को ऑन लाईन सट्टा संचालित करते रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा महादेव एप के पैनल रु 95 लोटस,लोटस 651 तथा लोटस 656 से सट्टा संचालित किया जा रहा था।सभी सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 67 नग मोबाईल फोन, 08 नग लैपटॉप, 04 नग राउटर, 94 नग विभिन्न बैंकों के ए.टी.एम. कार्ड, 15 नग विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, 32 विभिन्न बैंकों के बैंक पासबुक, 03 बैंक चेकबुक, 01 नग सिक्युरिटी कैमरा, 04 नग पावर एक्सटेंशन बोर्ड तथा 03 कापी में लिखे सट्टा के पैसों का हिसाब-किताब जुमला कीमती लगभग 30,00,000 रूपये जप्त कर प्रकरण में धारा 318(4), 61(2), 112(2) बीएनएस तथा भारतीय तार अधिनियम 25सी जोड़ी जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। पैनल संचालन में संलिप्त अन्य आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी भविष्य में की जायेगी। आरोपियों द्वारा रकम लेने-देन हेतु उपयोग किये जाने वाले लगभग 500 बैंक खातों में करोड़ो रूपये का लेन-देन किया गया है, जिसके संबंध में बैंको से पत्राचार कर जानकारी प्राप्त किया जा रहा है। पैनल संचालनकत्ताओं द्वारा 25 लाख रूपये व 15 लाख रूपये में पैनल प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त हुई है।

आई.पी.एल. क्रिकेट मैच - 2025 के इस सीजन में अब तक एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम द्वारा 17 प्रकरणों में गजानंद एप,मिस्टर बिन,विनप्रो,डायमंड यूएचसी 999 डॉट कॉम,वुड 777 क्लासिक यूएचसी 99 डॉट कॉम, फन यूएचसी एप,वजीर यूएचसी डॉट कॉम,अंकल बेट डॉट कॉम,किंगडम बुक9डॉटकॉम,शुभलाभ एप,गोल्ड363एप नामक एप, आई डी, पैनल एवं लिंक के माध्यम से ऑन लाईन सट्टा संचालित करते 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 116 नग मोबाईल फोन, 09 नग लैपटॉप, नगदी रकम 3,74,300 रूपये, चारपहिया/दोपहिया वाहन सहित अन्य मशरूका जुमला कीमती लगभग 72,27,700 रूपये जप्त किया जा चुका है। साथ ही आरोपियों द्वारा सट्टे के पैसों के लेन-देन किये जाने वाले 1500 से अधिक बैंक खाताओं को फ्रीज कराने हेतु संबंधित बैंकों को पत्राचार किया गया है। ऑनलाईन क्रिकेट सट्टे पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

कोलकाता से पकड़े गये आरोपी

01. पंकज वासवानी पिता संतोष कुमार वासवानी उम्र 24 साल निवासी गोधू चौक सिंधी कॉलोनी थाना सिविल लाईन बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। 02. रवि सजनानी पिता हीरानंद सजनानी उम्र 36 साल निवासी जे-11 ग्रीन ऑर्चिड दलदल सिवनी मोवा थाना पंडरी रायपुर।

03. रोशन कुमार ठाकुर पिता परमेश्वर कुमार ठाकुर उम्र 20 साल निवासी ग्राम मिलकीटोला थाना अलीनगर जिला दरभंगा (बिहार)।

04. प्रतीक सोनी पिता धर्मदास सोनी उम्र 20 साल निवासी सिंधी कॉलोनी जरहाभाठा मंदिर चौक थाना सिविल लाईन बिलासपुर।

05. संदीप अमरानी पिता स्व. देवानंद अमरानी उम्र 30 साल निवासी शिव टॉकिज के पीछे कटनी कैम्प उमरिया थाना कोतवाली जिला कटनी (म.प्र.)।

06. अंकुल मिश्रा पिता कौशलेश मिश्रा उम्र 21 सालनिवासी बॉस मेडिकल के पास मनोहरपुर थाना मनोहरपुर जिला पश्चिमी सिंहभूमि (झारखण्ड)।

07. दीपांशु गुप्ता पिता दिलीप गुप्ता उम्र 23 साल निवासी देवी मंदिर गली मनोहरपुर थाना मनोहरपुर जिला पश्चिमी सिंहभूमि (झारखण्ड)। 08. ताज्जु मसीह पिता हदयत मसीह उम्र 42 साल निवासी ग्राम कतिब थाना भटारा जिला गुरदासपुर (पंजाब)। हाल पता - शारदापारा कैम्प 7 भिलाई पावर हाउस थाना सुपेला जिला दुर्ग।

गुवाहाटी असम से पकड़े गये आरोपी

01. कुशल साहू पिता पकालू साहू उर्फ रामदेव साहू उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 12 चकरभाठा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

2. जीत सिंह पिता प्रदीप सिंह उम्र 25 साल निवासी कैम्प -01 स्टील नगर भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग।

03. सूजल रूपरेला पिता स्व. पुरूषोत्तम रूपरेला उम्र 19 साल निवासी गली नंबर 03 कटोरा तालाब सिविल लाईन रायपुर। हाल पता - ओम अस्पताल के पास चंगोराभाठाथाना डी.डी.नगर रायपुर।

04. अनुराग डहरिया पिता उमेश डहरिया उम्र 25 साल निवासी श्रीवास्तव कालोनी थाना कोडिपुरा छिंदवाड़ा (म.प्र.)।

05. हरदीप सिंह पिता सुखपाल सिंह उम्र 19 साल निवासी स्टेशन के सामने मनोहरपुर थाना मनोहरपुर जिला पश्चिमी सिंहभूमि ।

06. भानू सिंह राजपूत पिता संजीव सिंह उम्र 25 साल निवासी ग्राम बाईपुर थाना सिकंदरा आगरा (उ.प्र.)।

महत्वपूर्ण एवं खास

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार सरायपाली निवासी 30 वर्षीय प्रार्थिया ने कोतवाली थाना में शिकायत किया कि आरोपी किशन साव 30 वर्ष प्रार्थिया के परिचित है। दोनों फोन पर लगातार बात करने लग गए इस दौरान दोनों आपस में प्रेम करने लगे। आरोपी ने प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया। जिससे प्रार्थिया गर्भवती हो गई। जिसके बाद आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेकर कंपनी को 1 लाख 27 हजार का नुकसान पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी आयुष्मान सिंह 30 वर्ष स्टेट कालोनी खम्हारडीह का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि अज्ञात मोबाइल क्रमांक 90550-00141 के धारक सहित अन्य 4 लोगों ने प्रार्थी की कंपनी इनोटेक ट्रेडिसी प्लेट फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पर्सनल लोन के लिए फर्जी पेनकार्ड, बैंक स्टेटमेंट व अलग-अलग मोबाइल नंबर का उपयोग कर 1 लाख 27 हजार ठग लिए। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात आरोपियाकें के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

3 लाख के इनामी दो खूंखार नक्सली ढेर, हथियार बरामद

कोण्डागांव (आरएनएस)। कोंडागांव जिले के मरकाम पाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 अप्रैल की रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो खूंखार नक्सलियों को मार गिराया। यह मुठभेड़ कोंडागांव-नारायणपुर सीमा से सटे किलम-बरगुम जंगल इलाके में हुई, जहाँ माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी।पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने पुष्टि की कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान पूर्वी बस्तर डिवीजन के कुख्यात माओवादी कमांडर डीवीसीएम हलदर और एसीएम रामे के रूप में हुई है। इन पर क्रमश: 8 लाख और 5 लाख का इनाम घोषित था। इस प्रकार सुरक्षा बलों ने कुल 13 लाख के इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से एक एके-47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और माओवादी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

चोरी की 12 ट्रकों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचा,एक आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

अन्य राज्यों से चोरी कर ट्रकों को छग में फ र्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने तथा 2 करोड़ रूपयों की ठगी करने वाले दुर्ग निवासी आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार जगदीश प्रसाद सिंघानिया द्वारा थाना खमतराई रायपुर में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि वर्ष 2022 में आरोपी राजेश यदु पिता बलदाउ राम यदु उम्र-44 वर्ष साकिन आजाद मार्केट अंगूरी बार के पीछे रिसाली थाना नेवई जिला दुर्ग जो कि ड्राईवरी काम करते हुए पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री का भी काम करता था से उसकी जान पहचान हुई थी। राजेश यदु ने प्रार्थी को पुराने वाहन के विक्रय की बात कही थी। तथा प्रार्थी के साथ 12 पुराने ट्रकों की खरीदी बिक्री का सौदा तया हुआ था। आरोपी राजेश यदु ने अपने अन्य साथी मीठू कुमार, धनेश्वर चौधरी, मृणाल सिंह व अन्य के साथ मिलकर पटना बिहार से पुराने ट्रक विक्रय करने संबंधी प्रार्थी से प्रति वाहन 17 लाख 50 हजार रूपये में सौदा किया था तथा वाहन पूर्व पंजीयन क्रमांक एन.एल. 08 डी-9054 वर्तमान नम्बर सीजी 12 बीएच 3285 की राशि 16 लाख 50 हजार रूपये, ट्रक पंजीयन क्रमांक एनएल 08 डी-9055 वर्तमान नम्बर सीजी 12 बीएच-3290 राशि 16 लाख 50 हजार रूपये, ट्रक क्रमांक डब्ल्यूबी 91/7793 वर्तमान नंबर सीजी 12 बीएच-3291 राशि 16 लाख 50 हजार रूपये, ट्रक क्रमांक एनएल 08 डी-9670 राशि 17 लाख 50 हजार रूपये, ट्रक क्रमांक सीजी 15 डीवाय-5515 राशि 17 लाख रूपये, ट्रक क्र्रमांक एनएल 08 डी-9669 राशि 17 लाख, 50 हजार रूपये, ट्रक ट्रेलर क्र्रमांक सीजी 07 सीजे 2114 राशि 17 लाख 50 हजार रूपये, ट्रक क्रमांक ऐआर 06 बी-2669 वर्तमान नम्बर सीजी 12 बीजी-5312 राशि 18 लाख रुपये, ट्रक क्रमांक सीजी 07 सीजे-2125 राशि 18 लाख रूपये, ट्रक कमांक ऐआर 06 बी-2131 वर्तमान नम्बर सीजी 12 बीजी-6295 राशि 18 लाख रूपये, ट्रक क्रमांक बीआर-27 जीए-2487 वर्तमान नम्बर सीजी 22 डब्ल्यू-3019 राशि 17 लाख, 50 हजार रूपये, ट्रक कमांक बीआर 27 जीए-2486 वर्तमान नम्बर सीजी 22 डब्ल्यू 3018 का विक्रयनामा तैयार कर प्रार्थी के खाते से आरोपी राजेश यदु द्वारा अपने अन्य साथी मृणाल सिंह, मीठू कुमार सिंह, चरण सिंह व अन्य के खाते में कुल राशि 02 करोड़ 08 लाख रूपयों को आरोपियों के विभिन्न खातों में ट्रांजेक्शन किया गया था। आरोपी राजेश यदु द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ उपरोक्त 12 ट्रको का एनओसी के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रांत का फ र्जी दस्तावेज बनाकर प्रार्थी के पास वाहन विक्रय इकरारानामा/बिक्रीनामा तैयार कर विक्रय किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर आरोपी राजेश यदु एवं अन्य के विरूद्ध अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान प्रार्थी के पेश करने पर वाहन बिक्री इकरारनामा जप्त कर थाना खमतराई पुलिस द्वारा 07 ट्रक एवं थाना मुजफ्फरपुर बिहार पुलिस द्वारा 05 ट्रक को जप्त किया गया। जिसके बाद उपरोक्त ट्रकों के संबंध में थाना मुजफ्फरपुर बिहार में पूर्व में चोरी की शिकायत पर से थाना मुजफ्फरपुर बिहार पुलिस द्वारा थाना खमतराई क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से ट्रक को जप्त किया जाकर मुजफ्फरपुर बिहार ले जाया गया है। प्रकरण में आरोपियों की लगातार पता तलाश की जा रही थी। प्रकरण के आरोपी राजेश यदु का पता तलाश कर आरोपी से पूछताछ किया गया जोकि आरोपी द्वारा अपने साथियों मृणाल सिंह, मीठू कुमार सिंह, चरण सिंह व अन्य से मिलकर अपराध घटित करना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी राजेश यदु को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण के अन्य आरोपियों की पता तलाश की जा रही है।

बाइक से गिरी मासूम को ट्रेलर ने कुचला

भिलाई नगर । आरएनएस

कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल शाम को उम्दा रोड भिलाई 3 पर चलती मोटरसाइकिल से सडक़ पर बच्ची गिर गई थी। पीछे से आ रहे ट्रेलर अपने बच्ची को कुचल दिया। इस घटना में मौका स्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। बाइक मृतिका का चाचा चला रहा था। कुम्हारी पुलिस ने बताया कि सोमलाल पटेल पिता संतराम पटेल 22 वर्ष ग्राम पगबंधी धमधा में रहता है। राज मिस्त्री का काम करता है। कल शाम को सोमालाल अपनी भतीजी पायल पटेल पिता हेमलाल पटेल उम्र 12 वर्ष को बाइक में बैठकर जा रहा था। पायल पटेल ग्राम डुंडेरा में अपने माता पिता के साथ रहती है, जो ग्राम पगबंधी घर में पूजा होने से आयी थी। सोमलाल पायल को घर छोडऩे के लिए 15 अप्रैल की शाम को ग्राम डुंडेरा के लिए मोटर सायकल एच एफ डीलक्स क्रमांक ष्ट्र 07 क्वड्ड्ग 8446 से जा रहा था, पायल मो. सा. में पीछे करीबन 20 कि.ग्रा. प्याज बोरी में लेकर बैठी थी। शाम करीबन 06.30 बजे ग्राम उमदा रायल मैरिज गार्डन के पास पहुंचा था। पीछे बैठी भतीजी पायल अचानक प्याज की बोरी सहित मोटर सायकल से नीचे गिर गई, उसी समय पीछे से आ रही ट्रेलर क्रमांक हरु 01 ्रछ्व 4197 के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने से पायल के ऊपर ट्रेलर का चक्के चढ़ा दिया। जिससे पायल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सोमालाल पटेल द्वारा की गई रिपोर्ट पर से आरोपी ट्रेलर चालक के खिलाफ भिलाई 3 पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए है।

कार में आग लगने से चालक सहित 2 की मौत का जताया जा रहा अंदेशा

कोरबा । आरएनएस

कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लैंगा-कारीमाटी मार्ग में मध्य रात्रि करीब 2 से 3 बजे के बीच एक कार में आग लग गई। कार में कौन और कितने लोग सवार थे, इसका पता नहीं चल सका है, वहीं कार पूरी तरह जल जाने के कारण उसका नंबर भी मिट चुका है।

जानकारी के अनुसार यह कार कोरबा की ओर आ रही थी कि ग्राम कारीमाटी से गुजरने के दौरान वह एकाएक अनियंत्रित होकर सडक़ से उतरने के बाद पेड़ से टकराकर थम गई। इसके बाद कार में आग लग गई और इसमें सवार लोग नहीं निकल पाए। कार चालक के अलावा पीछे की सीट पर एक अज्ञात शख्स की जानकारी दी जा रही हैं।

घटना की सूचना उपरांत फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई है। मौके पर पसान थाना की पुलिस मौजूद है। बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी यहां एकत्र हैं और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह कार किसकी है, कार में कौन-कौन लोग सवार थे और कहां से आकर कहाँ जा रहे थे।

दो कार में जबरदस्त भिड़ंत, नशे की हालत में था कार चालक

कोरबा (आरएनएस)। देर शाम घंटाघर से रविशंकर नगर जाने वाले मुख्य मार्ग में महाराणा प्रताप नगर के समीप दो कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक कार चालक नशे की स्थिति में था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, दुर्घटना के पश्चात मार्ग पर जाम लग गया सिविल लाइन थाना पुलिस में आकर मौके की स्थिति को संभाला और आगे की कार्यवाही की जा रही है,गनीमत रही कि इस दौरान किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, दोनों कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

पुलिस को चकमा देकर थाने से अंतर्राज्यीय तस्कर हुआ फरार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के आमानाका थाने में हेरोइन चिट्टा की तस्करी के मामले में गिरफ्तार अंतर्राज्यीय तस्कर थाने से भाग गया। मामले में आरोपी के साथ उसके साथी को पुलिस ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार एक दिन पहले ही आमानाक थाना पुलिस ने पंजाब निवासी अमृतपाल सिंह और धर्मेंद्र सिंह को प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन चिट्टा रखने पर गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी अमृतपाल सिंह पुलिस वालों को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। आरोपी के भागने की जानकारी मिलते ही थाने में हडक़ंप मच गया, जिसके बाद तत्काल सूचना प्रसारित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई है। फिलहाल आरोपी पकड़ से बाहर है।

बिहान योजना की बदौलत गांव की महिलाएं बन रही हैं उद्यमिता की प्रतीक

लखपति दीदी जानकी नाग की बिहान योजना से आत्मनिर्भरता की ओर उड़ान

महासमुंद । आरएनएस

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना आज कई महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी लिख रही है। इसी योजना की बदौलत छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम सिरको की जानकी नाग आज ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने साथ गांव की कई अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार की राह दिखाई है।

जानकी नाग ने प्रगति स्व-सहायता समूह से जुडक़र अपने आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत की। उन्हें योजना के तहत 15 हजार रुपए की रिवॉल्विंग फंड और बाद में 60 हजार रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड मिला। इस पूंजी का उपयोग कर जानकी ने आटा चक्की और सिलाई मशीन जैसे स्वरोजगार के संसाधनों की स्थापना की और अपने व्यवसाय का विस्तार किया। समूह के मार्गदर्शन और बैंक ऋण की मदद से जानकी का व्यापार लगातार बढ़ता गया। आज उनकी वार्षिक आय 80 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है, और वे हर महीने औसतन 07 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं।

साल 2024 में जानकी को 'पशु सखी' की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिससे उन्हें हर माह 1,910 रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। इस आय से जानकी न सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रख रही हैं।जानकी गर्व से कहती हैं,"समूह से जुडऩे के बाद मुझे अपनी पहचान मिली है। अब मैं आत्मनिर्भर हूं और अपने पैरों पर खड़ी हूं। मुझे खुद पर और अपने काम पर गर्व है।" उड़ान महिला संकुल संगठन, सांकरा और प्रकाश महिला ग्राम संगठन, सिरको के सहयोग से जानकी ने जिस संकल्प और आत्मबल के साथ सफलता पाई है, वह आज ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं।उनकी सफलता यह प्रमाणित करती है कि जब महिलाओं को सही अवसर और मार्गदर्शन मिलता है, तब वे न केवल अपनी, बल्कि अपने पूरे समुदाय की तस्वीर बदल सकती हैं।

वक्फ संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा

रायपुर । आरएनएस

नए वक्फ विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ समेत देशभर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे करा रही है। इन सभी के बीच छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से ऊपर की वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने जानकारी दी है। सलीम राज ने बताया कि अभी पंजीकृत 500 करोड़ की संपत्ति पर ही दावा किया है। गैर पंजीकृत संपत्ति जो वक्फ बोर्ड की है, उसका चिह्नांकन किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के अंदर में लेने के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। सलीम राज ने बताया कि वक्फ की संपत्ति को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया है, ताकि संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के कब्जे में किया जा सके। साथ ही बताया कि मध्यप्रदेश शासन काल में कुछ लोगों ने वक्फ से संपत्ति को किराए में लिया था, लेकिन अब उसे खुद की संपत्ति बता रहे हैं। सलीम राज ने बताया कि सभी जिले के स्क्क को सुरक्षाबल मुहैया कराने के लिए भी पत्र लिखा है। पत्रों में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने पूरे मामले को 21 दिन में निराकरण कराने की अपील की है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU